पत्र संख्या : 7ब/2702–गैर यो० ज०सं०–06/2016.........292

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, रॉची/दुमका
निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय/संबंधित अधीक्षण अभियंता/
संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित उप निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल/
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉची, दिनांक 09-03-17

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 के मांग संख्या– 50–जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2702– लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–02–भू–जल, लघु शीर्ष–005 अन्वेषण, उप शीर्ष–01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट मुख्य शीर्ष **2702– लघु सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/2702–लघु सिंचाई	02– भू–जल	005–अन्वेषण/01–सर्वेक्षण एवं जॉच	**24.328**

कुल आवंटित राशि – रुपये चौबीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ मात्र

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट उपबंध ₹ 8017.52 लाख **(अस्सी करोड़ सत्रह लाख बावन हजार मात्र)** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से हीं किया जायेगा।

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(ओंकार नाथ)
सहा॰ अभि॰

(मुक्ति मोहन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो. अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
9. वित विभाग के पत्रांक – 29/बी टी ई–18/2014–15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आबंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत हीं अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन हार्ड कॉपी में **Access No** तथा **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 20 मार्च 2017** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 9/3

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 292 रॉची, दिनांक :– 09-03-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, रॉची/डोरंडा / जमशेदपुर/सरायकेला/चाईबासा/गुमला/खूँटी/सिमडेगा/लातेहार/लोहरदगा/मेदिनीनगर/गढ़वा/हुसैनाबाद/ चतरा/हजारीबाग/रामगढ़/कोडरमा/गिरिडीह/धनबाद/बोकारो/देवघर/दुमका/गोड्डा/पाकुड़/साहेबगंज/ जामताड़ा सहित **राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 9/3

(सुखदेव सिंह)
प्रधान **सचिव**

ज्ञापांक :– 292 रॉची, दिनांक :– 09-03-17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	**(सुखदेव सिंह)**
सहा॰ अभि॰	उप सचिव (अभि॰)	**प्रधान सचिव**

मांग संख्या–50–जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष–2702–लघु सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष–02–भू–जल
लघु शीर्ष–005 अन्वेषण / उप शीर्ष–01 सर्वेक्षण और जॉच

परिशिष्ट I

पत्रांक 292 दिनांक 09-03-17 का अनुलग्नक

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष 2016–2017		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–	विस्तृत शीर्ष–07–	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	50N270202005010101	50N270202005010110	50N270202005010112	50N270202005010213	50N270202005010315	50N270202005010316	50N270202005010323	50N270202005010333	50N270202005010334	50N270202005010337	50N270202005010442	50N270202005010760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	लघु सिंचाई प्रमंडल–कोडरमा	पूर्व का आवंटन	201.900	0.000	0.000	0.700	0.400	0.630	0.000	0.100	0.250	0.000	0.800	0.400	205.180	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.300	
		कुल आवंटन	201.900	0.000	0.000	0.700	0.400	0.630	0.000	0.100	0.250	0.000	1.100	0.400	205.480	
2	लघु सिंचाई प्रमंडल–खूँटी	पूर्व का आवंटन	277.080	0.000	0.200	0.200	0.550	0.150	0.200	0.100	0.625	0.150	1.000	0.100	280.355	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.250	
		कुल आवंटन	277.080	0.000	0.200	0.200	0.550	0.150	0.200	0.100	0.625	0.150	1.250	0.100	280.605	
3	लघु सिचाई प्रमंडल–चाईबासा	पूर्व का आवंटन	209.520	0.000	0.000	0.450	0.400	0.670	0.300	0.100	0.700	0.400	1.000	0.200	213.740	
		अतिरिक्त आवंटन	14.423	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.423	
		कुल आवंटन	223.943	0.000	0.000	0.450	0.400	0.670	0.300	0.100	0.700	0.400	1.000	0.200	228.163	
4	लघु सिंचाई प्रमंडल–पाकुड़	पूर्व का आवंटन	196.000	0.000	0.200	0.500	0.400	0.000	0.000	0.150	0.725	0.000	1.000	0.200	199.175	
		अतिरिक्त आवंटन	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	4.250	
		कुल आवंटन	200.000	0.000	0.200	0.500	0.400	0.000	0.000	0.150	0.725	0.000	1.250	0.200	203.425	
5	लघु सिचाई प्रमंडल–बोकारो	पूर्व का आवंटन	183.110	0.000	0.230	0.600	0.450	1.290	0.200	0.100	0.325	0.000	1.300	0.050	187.655	
		अतिरिक्त आवंटन	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.075	0.000	0.000	0.030	5.105	
		कुल आवंटन	188.110	0.000	0.230	0.600	0.450	1.290	0.200	0.100	0.400	0.000	1.300	0.080	192.760	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		23.423	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.075	0.000	0.800	0.030	24.328	

नोटः (1) लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा को वेतन मद में अतिरिक्त राशि का आबंटन **L. P. A No- 483/2014** नित्यानंद शर्मा बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय तथा विभागीय आदेश सं०–03 / **Court case-11-23/2012-607 dated**–22.02.17 के कम में श्री नित्यानंद शर्मा से संबंधित भुगतान के लिये।

(2) वित्त विभाग के पत्रांक 11 / विविध–14 / 2010–39 / बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये चौबीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ मात्र

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव